राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद
(राजस्थान सरकार का वैधानिक निकाय)
पशुधन भवन परिसर
टोंक रोड़, जयपुर–302015 (राज.)
दूरभाष/फैक्स नं. : 0141–2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

Rajasthan State Veterinary Council
(Statutory body of Government of Rajasthan)
Pashudhan Bhawan Campus
Tonk Road, Jaipur- 302015 (Raj.)
Phone / Fax No. : 0141-2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

क्रमांक :– प.2(22)/आर.एस.वी.सी/लेखा/2019–20/176 दिनांक :– 14/06/2019

बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद जयपुर में गेस्ट हाउस रूम अटेंण्डेड कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी की सेवायें पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्था/एजेन्सी से मैनपावर सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण/शर्तें वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र को इसी वेबसाईट से नियत तिथि से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली से संबंधित जानकारी परिषद की वेबसाईट http://www.rajvetcouncil.in पर भी देखी जा सकती है।

विवरण	अनुमानित मूल्य	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	प्रस्तावित बोली		
				वेबसाइट से फार्म डाउनलोड प्रारंभ/प्राप्त करने की दिनांक व समय	फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
मैनपावर सेवाएं	5.00 लाख रूपये	10,000/– रुपये	रू0 500/–	15.06.2019 प्रातः 10.00 बजे से	25.06.2019 सांय 5.00 बजे तक	26.06.2019 दोपहर 12.30 बजे

पंजीयक

क्रमांक :– प.2(22)/आर.एस.वी.सी/लेखा/2019–20/177-179 दिनांक :– 14/06/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त बोली आमंत्रण सूचना को विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करानें की कृपा करावें।
2. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त बोली आमंत्रण सूचना को न्यूनतम स्पेस में एक राज्य स्तरीय एवं एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करवाकर अनुमोदित दरों पर बिल भुगतान हेतु भिजवाने का श्रम करें बोली आमंत्रण सूचना की 10 प्रतियॉ संलग्न है।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।

पंजीयक

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद
(राजस्थान सरकार का वैधानिक निकाय)
पशुधन भवन परिसर
टोंक रोड, जयपुर–302015 (राज.)
दूरभाष/फैक्स नं. : 0141–2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

Rajasthan State Veterinary Council
(Statutory body of Government of Rajasthan)
Pashudhan Bhawan Campus
Tonk Road, Jaipur- 302015 (Raj.)
Phone / Fax No. : 0141-2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

1.	निविदा का नाम	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर कार्यालय में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्था/एजेन्सी से मैन पॉवर सेवाऐं जॉब वर्क बेसिस पर उपलब्ध कराने हेतु।
2.	निविदा की कुल लागत	5.00 लाख रूपये अनुमानित (एक वर्ष हेतु)
3.	कुल बोली प्रतिभूति (Bid security) (रूपयो में) (जो कि REGISTRAR, RSVC, JAIPUR के पक्ष में ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /बैक गारन्टी के माध्यम से)	10000/– रूपये
4.	निविदा प्रपत्र शुल्क (जो कि REGISTRAR, RSVC, JAIPUR के पक्ष में ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से)	500/– रूपये
5.	निविदा आवेदन/डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	15.06.2019 प्रात 10.00 बजे से
6	निविदा प्रपत्र तथा निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैक गारन्टी राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	25.06.2019 सांय 5.00 बजे तक
7	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	26.06.2019 दोपहर : 12.30 बजे

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद
(राजस्थान सरकार का वैधानिक निकाय)
पशुधन भवन परिसर
टोंक रोड, जयपुर–302015 (राज.)
दूरभाष/फैक्स नं. : 0141–2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

Rajasthan State Veterinary Council
(Statutory body of Government of Rajasthan)
Pashudhan Bhawan Campus
Tonk Road, Jaipur- 302015 (Raj.)
Phone / Fax No. : 0141-2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता द्वारा निविदा वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं rajvetcouncil.in से डाउनलोड की जावेगी।
2. सेवाप्रदाता फर्म के माध्यम से जॉब बेसिस पर गेस्ट हाउस रूम अटेण्डेन्ट कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु रजिस्टर्ड फर्मो/संस्थाओं से द्वि–स्तरीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रथम भाग में तकनीकी निविदा जिसमें फर्म का टर्नओवर/रजिस्ट्रेशन लाईसेंस आदि का विवरण एवं द्वितीय भाग में दरों की निविदा प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा के परीक्षण में सफल फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
3. निविदा की कार्य अवधि 1 वर्ष रहेगी। कार्य अवधि आपसी सहमति से आरटीपीपी नियमों अनुसार बढाई जा सकेगी।
4. निविदा को जमा करने से पूर्व निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति(Bid security@2%) 10000/– रू0 REGISTRAR RSVC JAIPUR के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या बैक गारन्टी (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में 500/– रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) REGISTRAR RSVC JAIPUR के पक्ष में देय, निविदा के साथ अंतिम तिथि एवं समय तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिये अन्यथा उनकी निविदा प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जावेगी। राज्य सरकार के नियमानुसार जिन संस्थाओं को बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय है उन संस्थानओं को नियमानुसार छूट देय होगी।
5. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में मोहर बन्द प्रस्तुत करनी आवश्यक है।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी निविदा सही होने एवं वित्तीय निविदा खोले जाने की सभी अर्हताऐं पूरी करने पर ही प्रस्तुत वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
7. सभी योग्य निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथी सूचित की जावेगी। वित्तीय निविदा सभी योग्य निविदादाताओं के प्रतिनिधियों, जो निविदा के समय उपस्थित रहना चाहते है, के समक्ष खोली जावेंगी।
8. सफल निविदादाता फर्म को आर.एस.वी.सी कार्यालय में गेस्ट हाउस रूम अटेण्डेन्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पूर्णतः अस्थाई आधार एवं जॉब बेसिस पर निविदादाता स्वयं की जिम्मेदारी एवं पूर्ण नियंत्रण पर कामगार उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु रखने होगें। आपूर्ति किये जाने वाले मैन पॉवर सेवाओ की संख्या एवं योग्यता मापदण्ड तथा कार्यो का विवरण **परिशिष्ठ–1** के अनुसार है। कार्मिकों की संख्या आर.एस.वी.सी की वर्तमान आवश्यकताओं/कार्य को ध्यान में रखते हुए दर्शायी गई है। इस संख्या में समय–समय पर आर.एस.वी.सी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी/कमी की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारन्टी नहीं है।
9. **परिशिष्ठ–1** में वर्णित कार्य के लिए दिये गये योग्यता मापदण्ड अनुसार ही अनुमोदित फर्म को कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने होगे। योग्यता अनुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवाये जाने की स्थिति में राशि रुपये 1000/– प्रति कार्मिक प्रति दिन के हिसाब से दण्ड (पेनल्टी) लगाया जावेगा।

सचिव
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

अधिकतम 30 दण्ड (पेनल्टी) होने पर अनुमोदित फर्म का अनुबन्ध निरस्त करते हुए फर्म को 2 वर्ष के लिए ब्लेकलिस्ट किया जाकर प्रतिभूति (performance security) राशि को जब्त करने का अधिकार पंजीयक, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर को होगा।

10. अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्मिकों को **परिशिष्ठ–1** में वर्णित योग्यता मापदण्ड के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र मांगे जाने पर योग्यता प्रमाण–पत्र दिखाना होगा।
11. निविदादाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरे **परिशिष्ठ–4** अनुसार **वित्तीय निविदा में पृथक से प्रस्तुत** की जानी आवश्यक होगी।
12. चयनित फर्म/संस्था को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) के रूप में निविदा मूल्य की पांच प्रतिशत राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध की संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) अनुमोदित फर्म को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात लौटा दी जायेगी। असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा करायी गई बोली प्रतिभूति (Bid security) दो माह में वापस लौटा दी जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता के द्वारा जमा करायी गई 10000/– रूपये की बोली प्रतिभूति (Bid security) को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) के रूप में समायोजित किया जा सकेगा और उसे बकाया कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) उसी रुप में जमा करानी होगी जिस रुप में बोली प्रतिभूति (Bid security) जमा कराई गई है। राज्य सरकार के नियमानुसार जिन संस्थाओं को प्रतिभूति राशि में छूट देय है उन संस्थानों को नियमानुसार छूट देय होगी।
13. निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो की सहमति स्वरूप निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने होगें। समस्त दस्तावेजों को स्व प्रमाणित करना होगा।
14. तकनीकी निविदा प्रपत्र **(परिशिष्ठ–2)** के क्रम संख्या 1 से 14 तक उल्लेखित समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर उसकी सेवाओं के प्रति फलस्वरूप सर्विस चार्ज एवं जॉब बेसिस की कुल लागत का उल्लेख अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। सर्विस चार्ज की राशि शून्य से अधिक अंकित करनी होगी अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
16. यदि कोई निविदादाता/अनुमोदित फर्म निविदा प्रपत्र में किसी तथ्य को छिपाता है और जो कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान सामने आता है तो ठेका निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) जब्त कर ली जावेगी।
17. सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी तथा निविदा की किसी भी शर्त को जोडने व हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
18. सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व निविदा अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) राशि रूपये 25000/– बैक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या बैक गारन्टी के रूप में आर.एस.वी.सी कार्यालय के पास निर्धारित अवधि दस दिवस में जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। performance security दर अनुमोदन की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष तक वैध होनी चाहिये। राज्य सरकार के नियमानुसार जिन संस्थाओं को प्रतिभूति राशि में छूट देय है उन संस्थाओं को नियमानुसार छूट देय होगी।
19. निविदादाता द्वारा दिये जाने वाले सभी डी.डी./बैंकर्स चैक/बैंक गांरटी Schedule Bank के होने चाहिए।
20. **निविदा की न्यूनतम दर का निर्धारण वित्तीय भाग के न्यूनतम कुल योग राशि पर किया जावेगा।**

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

21. किसी भी एक अथवा सभी निविदाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार पंजीयक आर.एस.वी.सी जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक निविदादाता/अनुमोदित फर्म को नहीं होगा।

22. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बोली प्रतिभूति (Bid security) राशि के संबंध में निविदादाता/अनुमोदित फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

23. निविदा के परिशिष्ठ–1 पर वर्णित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताधारी कामगारों के पेटे अनुमोदित फर्म/ऐजन्सी/निविदादाता को सर्विस चार्ज, निविदा अनुसार तय न्यूनतम पारिश्रमिक तथा वर्तमान में प्रचलित जीएसटी (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा परिवर्तित किये जाने पर आनुपातिक परिवर्तनीय) का भुगतान किया जायेगा। निविदा अनुसार तय न्यूनतम पारिश्रमिक में नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान सफल निविदादाता को आर.एस.वी.सी द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार पृथक से देय होगा जिसे सफल निविदादाता द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार जमा कराना होगा।

24. जॉब बेसिस पर कामगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है और इसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

25. अनुबन्धित अनुमोदित फर्म द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान(नियोक्ता एवं नियोजित), जीएसटी की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी तथा वैधानिक दायित्वो की पूर्ति में किसी भी कारण देरी होने पर उस पर लगने वाली पेनल्टी/ब्याज आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता द्वारा आर.एस.वी.सी से देय जीएसटी/नियमानुसार दिये जाने वाले भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान जमा कराने के चालान/रसीद की प्रति आर.एस.वी.सी को प्रस्तुत करनी होगी।

26. प्रत्येक जॉब बेसिस कार्मिक को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य करने के आदेश निविदा स्वीकृत होने के पश्चात जारी किये जावेगें उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। यदि अन्य किसी राजपत्रित अवकाश को कार्यालय खुलता है तो कर्मियो को डयूटी पर बुलाये जाने पर कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नही होगा।

27. सफल निविदादाता फर्म द्वारा आर.एस.वी.सी की आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपलब्ध कराये गए कामगारों की सेवाओं के विरूद्ध माहवार बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा। आर.एस.वी.सी, जयपुर द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर अतिशीघ्र बिल का भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु सफल निविदादाता को उसके द्वारा नियोजित कामगारों को किसी भी स्थिति में 07 तारीख तक वैधानिक दायित्वों जैसे भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान आदि की नियमानुसार समय से भुगतान करना होगा चाहे उसे आर.एस.वी.सी से भुगतान प्राप्त हो अथवा नहीं। निविदादाता द्वारा वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में किसी भी कारण देरी होने पर उस पर लगने वाली पेनल्टी/ब्याज आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

28. कार्यस्थल पर जॉब बेसिस कार्मिक पर प्रशासनिक नियंत्रण अनुमोदित फर्म का रहेगा परन्तु कार्य कुशलता एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु आर.एस.वी.सी द्वारा जयपुर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन जॉब बेसिस कार्मिक को करना होगा।

29. यदि किसी कारणवश अथवा आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त जॉब बेसिस कार्मिकों की आवश्यकता हो तो अनुमोदित फर्म को मांग अनुसार तुरन्त उपलब्ध कराने होंगे जिसके एवज में आर.एस.वी.सी द्वारा आनुपातिक अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

30. अनुमोदित फर्म और आर.एस.वी.सी के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में अध्यक्ष, आर.एस.वी.सी जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

31. आर.एस.वी.सी द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उक्त जॉब बेसिस पर कर्मचारी रखने की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है परन्तु अनुमोदित फर्म द्वारा इस बाबत कम से कम एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा।

32. सफल निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी को आर.एस.वी.सी जयपुर कार्यालय में उनके द्वारा नियोजित कार्मिकों के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू सभी कानून/अधिनियम आदि के

राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

प्रावधानों की पालना करनी होगी। सफल निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी को जॉब बेसिस पर कार्यरत कर्मचारीयों को निविदा में अनुमोदित दरों अनुसार पारिश्रमिक एवं ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान दिया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी द्वारा निविदा के वित्तीय भाग में भरी गई दरे जॉब बेसिस पर कार्यरत कर्मचारीयों को वर्तमान में देय पारिश्रमिक से कम होने पर निविदादाता की निविदाऐ स्वत: निरस्त मानी जावेगी।

33. जॉब बेसिस पर कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि अधिनियम की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनुमोदित फर्म को होगा।
34. निविदादाता/फर्म/ संस्था द्वारा 100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद/बकाया न होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी 7A नोटिस में किसी भी विवाद/बकाया होने की स्थिति में निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी को तकनीकि रूप से अयोग्य माना जावेगा।
35. अनुबंधित अनुमोदितफर्म/ऐजेन्सी द्वारा निविदा संबंधित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
36. अनुमोदित फर्म के किसी भी कामगार के द्वारा ठेका अवधि में अथवा उसके बाद यदि बकाया भुगतान के संबंध कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता अनुमोदित फर्म का होगा।
37. जॉब बेसिस पर कार्यरत कोई भी कामगार यदि किसी भी कारण वश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो अनुमोदित फर्म को उसके बिल में से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा ।
38. सफल निविदादाता एवं आर.एस.वी.सी के मध्य निविदा प्रपत्र की शर्तों को सम्मिलित करते हुए दोनों पक्षों के मध्य 500/– रू0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से नियमानुसार बढायी जा सकेगी। जिसके लिए performance securityकी वैधता भी तदनुसार बढानी होगी।
39. अनुमोदित फर्म द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक को आर.एस.वी.सी का कार्मिक नहीं माना जावेगा।
40. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कर्मचारी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 नियम संख्या 80 सत्यनिष्ठा संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगे। विवाद की दशा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अंतिम होगा एवं न्याय का क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
41. वित्त (जी.एण्ड.टी) विभाग राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 में बिन्दु संख्या 1 से 20 तक अंकित शर्ते भी इस निविदा की शर्तो में शामिल मानी जावेंगी।
42. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 लागू होंगे।

उपरोक्त शर्तों की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राज. राज्य पशु विकास परिषद
जयपुर

निविदा स्वीकृति पत्र

(फर्म/एजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

पंजीयक
राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद
पशुधन भवन परिसर, लाल कोठी
टोंक रोड, जयपुर–302015

विषयः– निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं नियम पर सहमति बाबत।

निविदा संदर्भः–
निविदा आई.डी. न0:
कार्य का नामः

महोदय

1. मैंने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया हैं
2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो, परिशिष्ट, नोटस आदि जो कि कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट का हिस्सा हैं, को पढ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तो का पालन करेंगे।
3. सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मैं/हम उक्त निविदा के संबंध में समय–समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेंगे।
4. मैं/हम निविदा प्रपत्र एवं समय–समय पर जारी संशोधन सहित निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम व शर्तो को बिना किसी ार्त के स्वीकार करते है।
5. यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करना पाया जाता है तो पंजीयक आर.एस.वी.सी जयपुर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा प्रपत्र को निरस्त करने के साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवायी गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

जयपुरः
दिनांकः

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

परिशिष्ठ–1

पद का विवरण एवं योग्यता मापदण्ड

क्र.सं.	कार्य	कार्य करने हेतु आवश्यक कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	गेस्ट हाउस केयर टेकर से संबंधित कार्य	रूम अटेण्डेन्ड कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	• 8 वीं पास
2	गेस्ट हाउस व कार्यालय में सफाई संबंधित समस्त कार्य	सफाईकर्मी	1	• 8 वीं पास

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

भाग–अ "तकनीकी निविदा" (Check List)

क्र. स.	विवरण	Document Attechd Yes/No	पृष्ठ संख्या
1.	निविदादाता/फर्म/संस्था का नाम एवं पता (मय टेलिफोन /मोबाइल न)		
2.	निविदादाता को जॉब बेसिस पर कर्मचारियों की सेवाए उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र		
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र		
4	निविदादाता/फर्म का पेन नम्बर		
5	निविदादाता/फर्म का जीएसटी नम्बर		
6	जी.एस.टी. जमा कराये जाने का अद्यतन प्रमाण पत्र		
7	कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र		
8	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र		
9	अनुमोदित फर्म का श्रमिक अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र		
10	भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद में न होने का निविदादाता/फर्म/ संस्था का 100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र		
11	गत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न, टर्नओवर एवं वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि		
12	बोली प्रतिभूति (Bid security) रूपये 10000/– का विवरण बैक गारन्टी/डी.डी./बैंकर्स चैंक संख्या ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... राशि ..... वैधता अवधि.....		
13	राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–13 के अनुसार Annexure A,B,C,D & Declaration under section 7 of RTPP Act-12		
14	100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता/फर्म/ संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा Black Listedनही किये जाने का शपथ पत्र		

मैं ..... पुत्र श्री .....
सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण एवं सत्य है तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम .....
(आवेदक)

स्थान:
दिनांक:

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

"शपथ – पत्र

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

1. निविदादाता.....

.....

.....यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा कभी भी मुझे काली सूची में नहीं लिया गया है।

2. मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिये पूर्णतः सहमत हूं यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता

मय सील

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

भाग (ब)
(वित्तीय निविदा)

1. निविदा दाता के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरे निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी:–

क्र. स.	कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी व कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (26 दिवस)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESIदर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गेस्ट हाउस रूम अटेन्डेन्ट कम क्लास फोर्थ	अकुशल – 3	5538/–		13.00	4.75		
2	गेस्ट हाउस व कार्यालय में सफाई संबंधित समस्त कार्य	अकुशल – 1	5538/–		13.00	4.75		

कुल राशि शब्दों में अक्षरे रू.....

(उपरोक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 4, 6 व 7 की पूर्तिया कार्यालय द्वारा की जा कर निविदा दस्तावेज में उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 से 10 तक में निविदा दाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जायेगी।)

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Annex. A

Compliance of Code of Integrity and No Conflict of Interest

(To be signed and submitted along with the first part bid)

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) Not misrepresent or omit or mislead or attempt to mislead so as to obtain a financial or other benefit of avoid an obligation.
(c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited :
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the all same subcontractor, not otherwise participation as Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

Annex.B

Declaration by the Bidder Regarding Qualification

(To be submitted along with the first part bid)

In relation to my/our Bid submitted to REGISTRAR RSVC JAIPUR for manpower services on jobwork basis in response to their notice Inviting Bid No.....Dated..... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required in the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, nor have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, nor have my/our business activities suspended and have not been the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/weand our directors or officers have not been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or making false statement or misrepresentations as to my/our qualification in order to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process.Also, I/we have not been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Signature of bidder

Place:

(With Office Seal)

पंजीयक
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman RSVC/ACS/Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Department, Rajasthan, Jaipur(as the case may be).

The designation and address of the second appellate authority is Principal Secretary, Finance Department, Rajasthan, Jaipur.

Filling an appeal:-

(1) If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the Order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as thecase may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain case- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

सचिव
राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or by authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled band in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The first appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) on the date fixed hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall, -

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

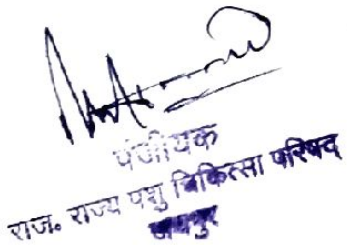

Annex.D

Additional Conditions of Contract

(To be signed and submitted along with the first part bid)

1. Correction of arithmetical errors

   provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

   a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected.

   b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   if the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfieted or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's right to vary quantities

   i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of the bid and the conditions of contract.

   ii. If the procuring entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

   iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurements shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद्
जयपुर

Form No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant :
2. Name of the Appellant :
3. Official address, if any :

1. Name and address of the respondent (s):
   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and designation of the Officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of Appeal :

   .....

   .....

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer :

   .....

Place .....

Date .....

राज. राज्य पशु चिकित्सा परिषद
जयपुर

Appellant's Signature